उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4

संख्या- 63/2016/ए-66/22-4-16-48(16)/15

लखनऊ : दिनांक- 13 मई, 2016

नियुक्ति निरस्तीकरण

जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर-669 में निहित अधिकारों के अधीन शासानादेश संख्या-164/725/22-4-15-48(16)15, दिनांक 19 अगस्त, 2015 द्वारा श्री आर0 पी0 यादव पुत्र स्व0 हीरा यादव, निवासी-सी-382 ब्रज बिहार, थाना- लिंक रोड , जनपद-गाजियाबाद को जिला कारागार गाजियाबाद का जेल विजिटर नियुक्त किया गया था।

2- सम्यक् विचारोपरान्त जेल नियम संग्रह (जेल मैनुअल) उत्तर प्रदेश के प्रस्तर-671(ब) में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर0 पी0 यादव पुत्र स्व0 हीरा यादव की जिला कारागार, गाजियाबाद में गैर सरकारी जेल विजिटर के पद पर की गयी उक्त नियुक्ति को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

एस0के0 रघुवंशी
सचिव।

संख्या- 63/2016/ए-66(1)/22-4-16-तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद।
3- निदेशक सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को राजकीय गजट के अगले अंक में प्रकाशन हेतु।
5- अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
6- सम्बन्धित व्यक्ति।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in